226
05/10/21

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15 ( ) सा.सु./म.क./ट्रांसजेण्डर/सान्याअवि/2021-22/47998   जयपुर, दिनांक : 4-10-21

ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष दिशा–निर्देश, 2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 114 की अनुपालना में **"ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष दिशा–निर्देश, 2021"** जारी किये जाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार :**

   1. ये **"ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष संचालन नियम, 2021"** कहलायेंगे।
   2. यह नियम सम्पूर्ण राज्य में जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषा ::**

जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो, तब तक निम्नानुसार दी गयी परिभाषायें ही इन दिशा–निर्देशों के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होगीः–

I. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।

II. "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है।

III. "प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव" से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव/सचिव से अभिप्रेत है।

IV. "आयुक्त/निदेशक" से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त/निदेशक से अभिप्रेत है।

V. "प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य विभाग के निदेशालय में योजना के क्रियान्वयन अधिकारी से अभिप्रेत है।

VI. "जिलाधिकारी" से तात्पर्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है चाहे उसका रेंक या वेतनमान कुछ भी हो, से अभिप्रेत है।

VII. "**ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष** " से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही **ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष** योजना से है।

VIII. **"उभयलिंगी व्यक्ति"** से तात्पर्य उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है और इसमें ट्रांस–पुरूष अथवा ट्रांस–महिला शामिल हैं (चाहे ऐसे व्यक्ति ने पिछले लेजर थेरेपी या इस तरह की अन्य थेरेपी के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी' या सद्‌भाव चिकित्सा से गुजरना पड़ा हो या नहीं), इंटरसेक्स विविधताओं वाले व्यक्ति, लिंगभेदी और किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति।

2. उद्देश्य ::

1) उभयलिंगी व्यक्तियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुये इन्हे सामाजिक आश्रय एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
2) उभयलिंगी व्यक्तियों को सामाजिक सम्मान एवं सुरक्षा के साथ–साथ समुचित वित्तीय सहायता, आवास व्यवस्था, चिकित्सा सेवाये, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सम्बल उपलब्ध कराना एवं समाज की मुख्यधारा से जोडा जाना है।

3. योजना का क्रियान्वयन ::

1) योजना का क्रियान्वयन एवं अभिकरण राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा। जिला स्तर पर उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयन अधिकारी होंगे।
2) योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक कार्य, अनुदान स्वीकृति व अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पादन हेतु आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सक्षम होंगे।

4. पात्रता ::

1) उभयलिंगी व्यक्तियों को योजना का लाभ देय होगा।
2) उभयलिंगी व्यक्ति राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
3) उभयलिंगी व्यक्ति जिनकी सकल आय 8.00 लाख रूपयें तक हो योजना में पात्र होगें।

5. अनुदान/सहायता राशि का भुगतानः

5.1 पहचान पत्र

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई–दिल्ली, भारत सरकार द्वारा जारी उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिला कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चिन्हिकरण करवाकर पहचान पत्र जारी किया जावेंगा।

2. उभयलिंगी व्यक्तियों का चिन्हिकरण/पहचान पत्र जारी करने हेतु विभाग के जिला कार्यालय (उपनिदेशक/सहायक निदेशक) को राशि उपलब्ध करवाई जावेगी। उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग जिला कलक्टर से पहचान पत्र के पेटे प्राप्त वाउचरों का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार जांच कर भुगतान किया जावेगा।
3. पहचान पत्र बनाने के लिए ऑन–लाईन पोर्टल पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आई.डी. कार्ड बनवाने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसका मानदेय प्रति आई.डी. कार्ड का भुगतान स्वयं सेवी संस्था को किया जावेगा।

4. यदि उभयलिंगी व्यक्तिय स्वयं ऑन–लाईन पोर्टल के माध्यम से आई.डी. कार्ड बनवाता है तो स्वयं का कार्ड प्रस्तुत करनें पर भुगतान खातें में किया जा सकेगा।

5.2 शिक्षा

उभयलिंगी समुदाय के विद्यार्थियों (विद्यालयों प्रवेश दिनांक) को निम्नानुसार छात्रवृति का भुगतान किया जावेगाः–

उभयलिंगी विद्यार्थियों के लिये प्रारंभिक से उच्च/तकनीकी शिक्षा (स्कूल/कॉलेज/उच्च/तकनीकी शिक्षा) हेतु छात्रवृति की व्यवस्था।	**पूर्व मैट्रिक छात्रों हेतु** अनुरक्षण भत्तें की दर 225 रूपये प्रतिमाह प्रति छात्र X 10 माह हेतु **उत्तर मैट्रिक छात्रों हेतु** स्कूल/कॉलेज शिक्षा हेतु अनुरक्षण भत्तें की दर 1000 रूपये प्रतिमाह प्रति छात्र 10 माह हेतु **उक्त के अतिरिक्त निर्धारित फीस का पुनर्भरण निम्नानुसार देय है** स्कूल/कॉलेज/उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु निर्धारित फीस का पुनर्भरण देय है।
छात्रवृति हेतु निर्धारित दस्तावेज	छात्रवृति हेतु उभयलिंगी छात्रों को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगें :– 1. उभयलिंगी पहचान पत्र की प्रति। 2. विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधित प्रमाण पत्र। 3. गत वर्ष की अंकतालिका की प्रति। 4. आधार कार्ड की प्रति। 5. माता–पिता/संरक्षक का आय प्रमाण पत्र (सकल आय 8.00 लाख रूपयें से अधिक न हों) 6. मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र। 7. बैंक पासबुक्स की प्रति।
आवेदन प्रक्रिया	आवेदन प्रारूप में आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा अभिशंषा सहित आवेदन पत्र को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित किये जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक माह में जांच कर ऑफ–लाईन स्वीकृति जारी कर आवेदक के बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

5.3 अध्ययनरत बच्चों के लिये आर्थिक सहायता

उभयलिंगी विद्यार्थी जो कक्षा 6 व 6 स उच्च कक्षा में अध्ययनरत है उनकों अपने निवास से अन्यत्र रहने की स्थिति में आवास एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता	उभयलिंगी विद्यार्थियों जो योजनान्तर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को राशि 6000/–रूपये प्रति माह (अधिकतम 12 माह) संबंधित छात्र के बैंक खाते के माध्यम से किराये की रशीद प्रति माह प्रस्तुत करने पर सहायता प्रदान की जावेगी।
आवेदन प्रक्रिया	आवेदन प्रारूप में आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा अभिशंषा सहित आवेदन पत्र को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित किये जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक माह में जांच कर ऑफ–लाईन स्वीकृति जारी कर आवेदक के बैंक खाता में प्रति माह राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

छात्रवृति एवं अध्ययनरत बच्चों के लिये आर्थिक सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप "अ" संलग्न है।

5.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण

1. उभयलिंगी व्यक्तियों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम/राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल)/जन शिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उभयलिंगी व्यक्ति संबंधित संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से संचालित व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से चिन्हित कार्यक्रम के जरिये प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा।
3. जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राप्त आवेदन की अधिकतम 1 माह के अंदर जाच कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर भुगतान करेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च का पुनर्भरण किया जायेगा।
5. फीस सीधे संबंधित प्रशिक्षणकर्ता संस्थान को उभयलिंगी व्यक्ति के संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश देने के पश्चात् उपलब्ध कराई जाएगी।
6. योजनान्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों को अधिकतम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा सकेगा।
7. योजनान्तर्गत उभयलिंगी व्यक्ति के कौशल विकास हेतु व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम/राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.)/जन शिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य

सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओ द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं आयु सीमा पूर्ण करनी होगी।

8. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उभयलिंगी व्यक्ति को संबंधित संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा प्रशिक्षित उभयलिंगी व्यक्ति के लिए रोजगार व सम्भावित उपार्जन हेतु सर्वोत्तम प्रयास किये जायेंगे।
10. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक कोर्स हेतु प्रतिमाह 5000 रूपयें (अधिकतम तीन माह हेतु एवं दो कोर्स हेतु) एक मुश्त राशि प्रदान की जायेगी।

5.5 स्वरोजगार/व्यवसाय

1. योजनान्तर्गत उभयलिंगी व्यक्ति जिसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष तक को स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अनुदान राशि रूपए 50,000/– जो भी कम हो, देय होगी। इस राशि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वृद्वि/कमी की जा सकेगी।
2. उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक से ऋण लेने के पश्चात् ऋण स्वीकृति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अनुदान राशि उभयलिंगी व्यक्ति के ऋण खाते में जमा करायेगा तथा उक्त राशि प्रार्थी को उसी शर्त पर प्राप्त होगी जब वह संबंधित व्यवसाय शुरूकर संबंधित ऋणदाता एजेन्सी को उसका भौतिक सत्यापन करा देगा।
3. योजना का लाभ उभयलिंगी व्यक्ति को अधिकतम एक बार देय होगा।

5.6 चिकित्सा

1. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा/लिंग परिवर्तन सर्जरी की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोडा जावेगा।
2. ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के लिये निःशुल्क चि कित्सा/लिंग परिवर्तन सर्जरी की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अन्तर्गत निर्धारित चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त अन्य (लिंग परिवर्तन) चिकित्सा सुविधा पर व्यय की जाने वाली वास्तविक राशि का भुगतान राजकीय चिकित्सालय को विभाग के जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा, जो अधिकतम राशि 2.50 लाख रूपयें होगी।
3. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा निजी चिकित्सालयों में लिंग परिवर्तन सर्जरी करवायी जा सकती है। उक्त चिकित्सा सुविधा पर व्यय की जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित चिकित्सालय के वाउचरों के आधार पर चिकित्सालय को जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो अधिकतम राशि 2.50 लाख रूपयें होगी।

5.7 ट्रांसजेण्डर दिवस

1. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर दिवस 20 नवम्बर को जिला/राज्य स्तर पर किन्नर महोत्सव, किन्नर कल्चर एण्ड ट्रेडिशनल मेलों का आयोजन, खेल–कूद, प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जावेगा।
2. राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर(शहर), राजस्थान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए राशि 10 लाख रूपयें तथा जिला स्तरीय कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक जिलें को राशि 1.00 लाख रूपयें आवंटित किया जायेगा।

5.8 आवास सुविधा

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिये राज्य स्तर पर निम्न सुविधाएँ उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है:–

(अ) सामुदायिक भवन का निर्माण :–

1. उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु राज्य स्तरीय सामुदायिक भवन/वृद्धाश्रम/एकल खिडकी के लिए विभागीय नियन्त्रणाधीन स्वयं सिद्धा परिसर, जामडोली, जयपुर में 2 बीघा भूमि आवंटन किया जावेगा।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित सामुदायिक भवन का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि उक्त भवन में सामुदायिक भवन मय वृद्धाश्रम एवं एकल खिडकी सेवा का संचालन किया जा सकें।

(ब) वृद्धाश्रम का संचालन :– उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु वृद्धाश्रम संचालन के लिये राज्य स्तरीय सामुदायिक भवन निर्माण होने तक जिला कलक्टर से भवन उपलब्ध नहीं होने संबंधित अनाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार किराये के भवन में संचालित किया जावेगा। जयपुर जिला मुख्यालय पर ट्रांसजेण्डर समुदाय हेतु वृद्धाश्रम का संचालन विभाग द्वारा संचालित **"वृद्धाश्रम संचालित नियम, 2006"** के अनुसार किया जावेगा। वृद्धाश्रम का संचालन स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित किया जावेगा।

(स) एकल खिडकी सेवा का संचालन:– उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर) के अधीन नवनिर्मित सामुदायिक भवन में उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु एकल खिडकी सेवा (जॉब बेसिस सेवाएँ) का संचालन किया जायेगा।

5.9 काउन्सलिंग की व्यवस्था

1. उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु राज्य के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर संभाग स्तर पर उभयलिंगी व्यक्तिों के कल्याण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विजिट बेस पर काउन्सलर की नियुक्त की जावेगी एवं देय राशि का भुगतान संभाग स्तरीय कार्यालय उपनिदेशक सान्याअवि द्वारा प्रति विजिट किया जावेगा।
2. काउन्सलर के बैठने की व्यवस्था:– जिला कार्यालय अथवा छात्रावास भवन में रिक्त कमरें में की जावेगी।

6. निरीक्षण/निगरानी, अनुवर्तन एवं संचालन ::

1. उक्त योजना में आहरण एवं वितरण के अधिकार जिला कार्यालय, उप/सहायक निदेशक, सान्याअवि को होगा।
2. जिलाकार्यालय, उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजनान्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त उभयलिंगी व्यक्तियों की सूची जिले में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्था से साझा करेगा ताकि उभयलिंगी व्यक्तियों को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ा जा सके।
3. संबंधित कार्यक्रम की समाप्ति एवं कार्यक्रम दौरान योजनान्तर्गत लाभान्वितों से फोलोअप सान्याअवि द्वारा किया जायेगा ताकि कार्यक्रम के दौरान आ रही समस्याओं के निपटान एवं सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

4. आयुक्त/निदेशक एवं उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा प्राधिकृत अधिकारी सबंधित व्यवसायिक/तकनीकी/शिक्षण संस्थान का समय-समय पर एवं आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराये जा रहे शिक्षण/प्रशिक्षण आदि का आंकलन कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश देंगे।
5. उक्त सभी अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक-एक प्रति क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं संबंधित कार्यालय को सूचनार्थ/पालनार्थ आवश्यक रूप से भेजेंगे।

7. **विशिष्ट** ::

1. राज्य सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत इस योजना के संचालन नियम के निर्धारित अभिलेख/जॉच/निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुबन्ध पत्र, शर्तों (यदि कोई हो तो) आदि में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन किया जा सकेगा।
2. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, योजना के संचालन नियम के किसी बिन्दु की व्याख्या व किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
3. योजना की पात्रता/प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के शिथिलता प्रदान करने हेतु आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार सक्षम होगें।
4. योजना की क्रियान्विति की त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा तृतीय लिंग हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं प्रतिवेदन रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जावेगी।
5. योजना की क्रियान्विति की समीक्षा वार्षिक स्तर पर आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 ( ) सा.सु./म.क./ट्रांसजेण्डर/सान्याअवि/2021/47999-48008 जयपुर, दिनांक : 4-10-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. समस्त, विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त, निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त, संभागीय आयुक्त।
8. समस्त, जिला कलेक्टर।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. समस्त, उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)